

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 06/2025
उनवान

1. कालूसिंह पुत्र बीजराजसिंह बनाम 1. तहसीलदार रामसर।
जाति राजपूत निवासी
सिंगरपालों की ढाणी तहसील
रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश दिनांक 07.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कालूसिंह पुत्र बीजराजसिंह जाति राजपूत निवासी सिंगरपालों की ढाणी तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 450/303 रकबा क्रमशः 0.4856 हेक्टैयर मौजा मौजा सिंगरपालों की ढाणी पटवार मण्डल रामसर में आये हुआ है। जिसमें रा.प्रा.वि. सिंगरपालों की ढाणी के नाम में प्रार्थी उगमसिंह, कालूसिंह पि. बीजराजसिंह जाति राजपूत की उक्त समर्पित 03.00 बीघा भूमि में लठा नक्शा में तरमीम भूलवंश अशुद्ध इन्द्रार्ज हो गया। राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकर्ड में पुनः सही इन्द्रार्ज करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 450/303 रकबा क्रमशः 0.4856 हेक्टैयर मौजा मौजा सिंगरपालों की ढाणी पटवार मण्डल रामसर के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का कालूसिंह पुत्र बीजराजसिंह का खातेदारी खेत खसरा संख्या क्रमशः 450/303 रकबा क्रमशः 0.4856 हेक्टैयर मौजा मौजा सिंगरपालों की ढाणीमें उक्त तरमीम दुरुस्तएवंम राजस्व रेकर्ड में पुनः सही इन्द्रार्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 07.01.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

क्रमांक : रीडर/2025/ 03-04
प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी कालूसिंह पुत्र बीजराजसिंह ।